


20/12/2022  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी	
रामूराम पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी	
राजस्व वाद = वाद रेकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत			
वाद-पत्र नम्बर 203 / 2022		GCMS No. 2022/ 399	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.12.2022	<p>वादी/प्रार्थी रामूराम पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022" के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्मत 2073-2076 ग्राम परेवड़ी पटवार मण्डल परवेड़ी तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर 200 प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी का नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि रामलाल पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. देह अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>प्रार्थी का शुद्ध नाम रामूराम पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. परेवड़ी है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 578201322276 मतदाता पहचान पत्र RJ/25/196/534095 छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी परेवड़ी भू.अ.नि जिलिया एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार विधिवत सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसका नाम शुद्ध किया जा सके तथा उक्त अशुद्धि कब हुई उस राजस्व रेकार्ड की नकले इत्यादि भी वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, वादी/प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद पत्र/प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>		
	 <b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>कुचामन सिटी ( नागौर )</b>		